भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1481

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कीटनाशी प्रबंधन विधेयक

1481. श्री टी.एम. सेल्वागणपतिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कीटनाशक निर्माताओं ने किसानों की प्रभावी फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार से कीटनाशी प्रबंधन विधेयक के मसौदे में लक्षित बदलाव करने का आग्रह किया है;

(ख) क्या उन्होंने नए अणुओं और नए उपयोगों के लिए एक समयबद्ध विनियामक डेटा संरक्षण ढांचे को शामिल करने की भी मांग की है;

(ग) क्या वर्तमान मसौदा इस नवाचार अंतराल का कारण बनने वाले नीतिगत अंतर का समाधान नहीं करता है;

(घ) क्या एसोसिएशन ने प्रथम पंजीकरण से लगभग पांच वर्षों के एक सीमित, समयबद्ध पीआरडी ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जिससे स्वतंत्र डेटा निर्माण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हुए किसानों तक नए समाधान तेजी से पहुंचने का एक अधिक पूर्वानुमानित मार्ग तैयार होगा; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त पर सरकार के क्या विचार हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.)**:** कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ जन विश्वास अधिनियम के अनुरूप तैयार कर दिया गया है।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का मसौदा दिनांक 30.12.2025 को सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को टिप्पणियों के लिए भेजा गया था तथा तत्पश्चात दिनांक 07.01.2026 को कीटनाशक निर्माताओं और डीलरों/खुदरा विक्रेताओं सहित आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों/विभागों, कीटनाशक निर्माता संघों, कीटनाशक डीलरों, व्यक्तिगत कीटनाशक निर्माताओं, किसानों, गैर सरकारी संगठनों आदि से कीटनाशक प्रबंधन और विनियमन के विभिन्न पहलुओं, जिनमें डेटा संरक्षण भी शामिल है, पर बड़ी संख्या में सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।
